इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2022—आषाढ़ 29, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. CT-3-0002-2022-Sec-1-पांच (CT) (44).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-32-2020-1-पांच(67), दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 और अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-07-2021-1-पांच(26), दिनांक 10 जून, 2021 का आंशिक उपांतरण करते हुए,—

- (i) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए कर प्रत्यय इनपुट की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अविध के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करती है;
- (ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अविध की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अविध को उपवर्जित करती है.
- (iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अविध की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अविध को उपवर्जित करती है.
- 2. यह अधिसूचना 1 मार्च 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. CT-3-0002-2022-Sec-1-पांच (CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-3-0002-2022-Sec-1-05 (CT) (44). दिनांक 20 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 20th July 2022

No. CT-3-0002-2022-Sec-1-V (CT) (44).—In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and in partial modification of this Department's notification No. F A-31-2020-1-V(67), dated the 5th December, 2020 and No. F A 3-07-2021-1-V(26), dated the 10th June, 2021, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby,—

- (i) extends the time limit specified under sub-section (10) of Section 73 for issuance of order under sub-section (9) of Section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;
- (ii) excludes the period from the 1St day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of Section 73 of the said Act for issuance of order under sub-section (9) of Section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;
- (iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under Section 54 or section 55 of the said Act.
- 2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.